न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या–174 / 2026</u>

N.T.P.C. थाना कांड संख्या–12 / 2026

अंतर्गत धारा–309(4) बीएनएस

07.04.2026
~~08.04.2026~~

काराधीन अभियुक्त–1. रवि कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत दिनांक–25.03.2026 को नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है जो कि धारा–309(4) बीएनएस से संबंधित N.T.P.C. थाना कांड संख्या–12 / 2026, दिनांक–02.02.2026 के अभियुक्त हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आगे उनका कहना है कि आवेदक निर्दोष हैं, इनके द्वारा कोई अपराध–कारित नहीं किया गया है, गलत उद्देश्य से पुलिस द्वारा इन्हें इस केस में फंसाया गया है। इनके विरूद्ध तीन अन्य अपराधिक मामले लंबित है जोकि N.T.P.C. थाना कांड संख्या–13 / 2026 है, जो इस केस के बाद दर्ज किया गया है। तथा अथमलगोला थाना कांड संख्या–139 / 2024 एवं N.T.P.C. थाना कांड संख्या–61 / 2024 है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक का नाम अन्य अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति ब्यान के आधार पर इस केस में लाया गया है और शक के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनाक–26.02.2026 से काराधीन हैं। इनके पास से कुछ–भी बरामद नहीं हुआ है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि इस वाद के सूचक–शिवलिंगम् नागार्जुन हैं, जोकि ट्रक संख्या– TN-77V-1801 के चालक हैं, उनका कहना है कि वे दिनांक–01.02.2026 को समय लगभग 23.00 बजे रात को तामिलनाडु से बाढ़, N.T.P.C. अपनी गाड़ी से उडेन बॉक्स को लेकर आए थे, जिसमें कि N.T.P.C. प्लांट के कीमती समान थे, उसकी डिलीवरी करने N.T.P.C. गेट पर आए, वहां रात्रि होने के कारण उन्हें इंट्री नहीं मिली। तब, वे EDC बिल्डिंग के पास गाड़ी लगाकर सो गए। दिनांक–02.02.2026 को समय करीब 00.15 बजे गाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आई तो उनकी नींद खुली तो पीछे जाकर देखा तो पाया कि, दो अज्ञात लोग उनके वाहन से रस्सी काट कर तिरपाल हटाकर उडेन बॉक्स चोरी कर रहे थे। सूचक ने शोर किया तो एक व्यक्ति चाकू दिखाकर डराया और शोर न करने की धमकी दी। डर के कारण शोर नहीं किया और वे लोग उनकी गाड़ी से उडेन बॉक्स को काले रंग की मोटरसाइकिल से उठाकर लेकर चले गए।

कांड दैनिकी के कंडिका–3 में वादी का पुनः, ब्यान है, जिसमें उन्होंने अपने ब्यान में घटना

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या–174 / 2026</u>

N.T.P.C. थाना कांड संख्या–12 / 2026

अंतर्गत धारा–309(4) बीएनएस

लगातार

07.04.2026

~~08.04.2026~~

का समर्थन किया है। कंडिका–9 में साक्षी–केतन कुमार जोकि ट्रांसपोर्ट आर्नर हैं, उसने भी बताया है कि चेन्नई से उक्त ट्रक में बारह लकड़ी का बॉक्स जिसमें समान था, चेन्नई से N.T.P.C. में भेजा गया था। कांड दैनिकी के कंडिका–10 में साक्षी–रमेश कुमार ने भी घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–15 में जप्त–वस्तु का जप्ती–सूचि है, जिसके अनुसार कुछ वस्तु को पुलिस द्वारा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उनलोगों ने बताया कि इस चोरी के समान को कबाड़ी के दुकान में बेचा है, उनके बताए अनुसार छापामारी करने पर एक पीले रंग के बोरा में लोहे का रिंग बरामद किया गया तथा कबाड़ी वाले को भी गिरफ्तार किया गया एवं उनके विरूद्ध N.T.P.C. थाना कांड संख्या–13 / 2026, दिनांक–03.02.2026 दर्ज किया गया। उक्त समान को वादी के द्वारा पहचान किया गया और बताया गया कि ये वही समान हैं, जो ट्रक पर से गायब किया गया था। कांड दैनिकी के कंडिका–16 में सह–अभियुक्तों का स्वीकारोक्ति ब्यान है, जिसमें इन्होंने आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता को स्वीकार किया है तथा कहा है इसके अलावा भी इस प्रकार की घटना उनके द्वारा पूर्व में भी जा चुकी है।

अन्य सह–अभियुक्तों में जय प्रकाश एवं अवधेश कुमार ने भी अपने स्वीकारोक्ति ब्यान में आवेदक–रवि कुमार की संलिप्तता को स्वीकारा किया है। आवेदक अभियुक्त का स्वीकारोक्ति ब्यान कांड दैनिकी के कंडिका–16 में दर्ज है, जिसमें इन्होंने कहा है कि, मैटेरियल गेट पर एक ट्रक के टेलर पर लदे तीन बड़े–बड़े लकड़ी का बक्सा लदा हुआ था जिसमें एक छोटा बक्सा था, जिसका वजन 50–55 किलोग्राम था, जिसे अपने साथियों के साथ लूट लिए। आवेदक के विरूद्ध इस केस के अलावा अन्य अपराधिक मामले भी लंबित हैं, जोकि N.T.P.C. थाना कांड संख्या–13 / 2026, N.T.P.C. थाना कांड संख्या–61 / 2024 एवं अथमलगोला थाना कांड संख्या–139 / 2024 है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता तथा अपराधिक इतिहास को देखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त–1. रवि कुमार को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

(विवेक भारद्वाज)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़